



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 783) पटना, शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2013

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

3 अक्टूबर 2013

सं० 15/छोआ-नीति-15/2012-6862—बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1994 के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी द्वारा उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारकों को देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्माण के निमित्त आपूरित किये जाने वाले संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड-1 का अधिकतम बिक्री मूल्य बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित क्रमशः रुपया 24.55 (चौबीस रुपये पचपन पैसे) एवं 25.35 (पच्चीस रुपये पैंतीस पैसे) प्रति बल्क लीटर को परिवर्तित कर क्रमशः (वाणिज्य-कर छोड़कर) रुपया 28.00 (अटार्इस रुपये) एवं 28.80 (अटार्इस रुपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 783-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>